THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTAMBHAI H. PATEL): (a) No such report has been received.

(b) and (c) Do not arise.

(d) The following villages/habitations have been provided with safe drinking water during the last three years:

1992-93	34360
1993-94	41488
1994-95	63984 (Provisionals)

(e) All the remaining villages are expected to be provided with safe drinking water by the end of Eighth Five Year Plan.

बंजर भूमि के विकास के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड द्वारा चुने गए जिले

4844. **श्री जनेश्वर मिश्रः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे किः

(क) देश में कुल कितने जिलों का बंजर भूमि के विकास हेतु राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड द्वारा चयन किया गया है;

(ख) उत्तर प्रदेश में कितने जिलों का बंजर भूमि विकास हेतु चयन किया गया है;

(ग) क्या सरकार बंजर भूमि का विकास करने के लिए किसी ठोस योजना पर विचार कर रही है, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (परती भूमि विकास विभाग) (कर्नल राम सिंह): (क) यद्यपि देश के सभी जिले राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सहायता पाने के पात्र हैं, फिर भी राष्ट्रीय बंजर भूमि चयन कार्यक्रम के अन्तर्गत 15% से अधिक बंजर भूमि क्षेत्र वाले 147 चयनित जिलों में गैर वन क्षेत्र वाली बंजर भूमि के विकास पर विशेष बल दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय बंजर भूमि चयन कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में बंजर भूमि के विकास के प्रयोजन हेतु 24 जिलों का चयन किया गया है, जिनमें बंजर भूमि विकास पर विशेष बल दिया जाएगा।

(ग) व (घ) राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड इस समय निम्नलिखित पांच योजनाएं कार्यान्वित कर रहा हैः—

(1) समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना
(2) अनुदान सहायता
(3) प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण
(4) निवेश प्रोत्साहन योजना
(5) बंजर भूमि विकास कार्यदल

इन योजनाओं की विस्तृत विशिष्टतायें संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1. समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना स्कीम

योजना का उद्देश्य राज्यों में प्राद्योगिक परियोजनाएं शुरू करना है जिनका आशय ग्राम/माइक्रो वाटरशैड योजनाओं के आधार पर समेकित ढंग से भूमि प्रबन्ध तथा बंजर भूमि का विकास करना है योजना का उद्देश्य सभी चरणों में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना भी है, जिसे समान और सतत लाभ देने के लिए और ऐसी परियोजनाओं से मिलने वाले भोगाधिकार हेतु रूपात्मकता प्रदान करके सुनिश्चित किया जाता है।

2. अनुदान सहायता योजनाः

अनुदान सहायता योजना के अन्तर्गत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वनरोपण तथा बंजर भूमि विकास कार्य को बढ़ावा देने के लिए पंजीकृत स्वयंसेवी एजेंसियों सहकारी समितियों, महिला मंडलों, युवा मंडलों तथा इसी तरह के अन्य संगठनों को 100% केन्द्रीय अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इन कार्यों में छोटे कार्यक्रमों जैसे वृक्षारोपण, भूमि तथा नमी संरक्षण, जनजागृति, प्रशिक्षण एवं विस्तार, संरक्षण हेतु लोगों का संगठन, भोगाधिकारों आदि का रख-रखाव एवं बंटवारे का वास्तविक कार्यान्वयन शामिल होगा।

3. प्रद्योगिकी विकास प्रशिक्षण एवं विस्तार योजनाः

यह योजना फरवरी 1994 में अनुमोदित की गई थी तथा 1994-95 से लागू हुई। योजना के अन्तर्गत विशेष रूप से निम्नलिखित के संबंध में नई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं।

(क) नीम को मुख्य वानकीय किस्म मानकर कृषि वानकी मंडलों को बढ़ावा देना।

(ङ) गैर वन क्षेत्र वाली बंजर भूमि पर औषधीय तथा जड़ी-बूटी वाले पौधों के वृक्षोरोपण को बढ़ावा देना।

(ग) जल एकत्रीकरण, निम्नीकृत भूमि को उपजाऊ बनाने कृषि वानकी मांडलों के लिये संयोजित प्रौद्योगिकी।

4. निवेश प्रोत्साहन योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य वित्तीय संस्थाओं/बैंकों, निगमित संस्थाओं जिनमें प्रयोक्ता, उद्योग तथा अन्य उद्यम शामिल हैं, से संसाधनों को सुगम बनाना/आकर्षित करना/प्रवाह सुनिश्चित करना/जुटाना है ताकि अलग-अलग किसानों समुदाय/पंचायतों, संस्थाओं तथा सरकारी एजेंसियों की बंजर भूमि का विकास हो सके।

5. बंजर भूमि विकास कार्यदल

बंजर भूमि विकास कार्यदल का उद्देश्य वनरोपण की मार्फत दुर्गम तथा ऊबड़-खाबड़ वाली बंजर भूमि को पुनः उपजाई बनाने के लिये अनुशासित कार्यदल उपलब्ध कराना है। इस तरह के वनरोपण में निम्नलिखित शामिल हैं:—

—सौट् भूमि और नमी संरक्षण
—वृक्षारोपण
—वृक्षारोपण का रख रखाव
—संरक्षण

इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये पहले कदम के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि प्रादेशिक सेना की कमान के तहत 300 भूतपूर्व सैनिकों का एक बल गठित किया जाए। इसके अतिरिक्त सेना/प्रादेशिक सेना के 15 कर्मियों का एक कोर ग्रुप भी गठित किया जाएगा। यह बल मध्य प्रदेश के मुरेना जिले के बेहड़ों में काम करेगा तथा इसके द्वारा बीहड़ों में प्रत्येक वर्ष 390 हेक्टयर भूमि विकसित करने की प्रत्याशा है।

Drought conditions in Madhya Pradesh

4845. SHRI SURESH PACHOURI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there have been large scale drought conditions in various districts in Madhya Pradesh;

(b) if so, what is the total number of districts which have been declared as drought affected regions;

(c) whether Union Government have been urged to help the State Government to meet the drought conditions in the State;

(d) if so, what is the Central assistance provided to the State Government to help and assist the people of such areas so far;

(e) what are the schemes prepared by the State Government to meet the situation arising out of the drought conditions in various parts of the State; and

(f) how much more financial assistance has been demanded by the State Government from the Central Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) and (b) According to information received from the Government of Madhya Pradesh, 12 Tehsils of 6 districts namely, Rajgarh, Tikamgarh, Balaghat, Khandwa, Durg and Raipur are affected by drought conditions.

(c) and (d) The Government of Madhya Pradesh have requested the Government of India to release the entire Central share of Calamity Relief Fund (CRF) for the year 1995-96. The first instalment of Central Share of CRF amounting to Rs. 9.04 crores for current year has been released to the State on 6.4.1995 to enable State Government to undertake relief measures in the affected areas.

(e) The State Government have intensified labour intensive works in all drought affected areas from Jawahar Rojgar Yojana (JRY), Intensified Jawahar Rojgar Yojana (IJRY), Employment Assurance Scheme(EAS) and other departmental schemes. The concerned Collectors have been instructed accordingly. An amount of Rs. 8.00 crores has been released to the Public Health Engineering Department and Rs. 5.00 crores to the Local Self